



Neutral Citation No. - 2026: AHC:25970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2957/2026

नौशाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: संजय कुमार पांडे

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 21.10.2025 को अभिलिखित कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचना ने आरोप लगाया है कि 14.10.2025 को रात लगभग 8 बजे जब उसकी पत्नी सोने गई तो आवेदक घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि यद्यपि कथित घटना 14.10.2025 को हुई थी, लेकिन इस घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.10.2025 को अभिलिखित कराई गई है, जबकि पांच दिनों की इस अत्यधिक देरी का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और 183 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने बयानों में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का स्पष्ट आरोप लगाया है, लेकिन पीड़िता के दोनों बयानों को देखने से पता चलता है कि आरोपी पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को परिचित था क्योंकि वह पीड़िता के परिवार का ट्रैक्टर चला रहा था, घटना वाले दिन जब वह भाग रहा था, पीड़िता की सास ने उसे देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का देकर भागने की कोशिश की। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने अपनी सहमति दी थी और आरोपी को दुर्भावनापूर्ण आशय से झूठे और निराधार आरोपों में फंसाया गया है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिवत सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 22.10.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक ने जमानत आवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-विचारण चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. आवेदक-नौशाद, को मामला अपराध संख्या 190 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और 351(3) के अन्तर्गत, थाना- इटवा, जिला- सिद्धार्थ नगर में, व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो स्थानीय जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"